रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान भोपाल स्टेशन पर ऊपरी पुल और भोपाल यार्ड के बीच लाइन पार करते समय गाड़ियों द्वारा कुचले जाने वाले व्यक्तियों का संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	कुचले गये व्यक्तियों का संख्या
1977 .	2
1978 .	3
1979 .	4

भोपाल में बिजलीघर कालोनी को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले अल्पना टाकीज के चिराहे पर एक ऊपरी पुल के निर्माण के लिए प्राइवेट व्यक्तियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं

रेलें अपनी लागत पर ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण, यात्रियों के लिए प्लेट फार्म बदलते समय पटरी को पार करने के लिए या परिचलन क्षेत्र से प्लेट फार्मों पर आने-जाने के लिए करती है । जनता का एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी पटरी पार करने के लिए नये पैदल ऊपरी पुलों के निर्माण का सम्पूर्ण लागत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन की जानी होती जिन्हें इसके लिए प्रस्तावों का प्रायोजन किया जाना होता है और इसकी सम्पूर्ण लागत वहन करने का वचन देना होता है । तदनुसार, अभ्यावेदन भेजने वाले व्यक्तियों को सलाह दी गयी है कि वे इस प्रस्ताव को प्रायोजित करने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से सम्पर्क करें । इस संबंध में न तो राज्य सरकार ने और न ही स्थानीय प्राधिकरण ने कोई प्रस्ताव भेजा है ।

News item "Lettuces Prevents Cancer"

7241. SHRI MOHD. ASRAR AHMED: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item captioned "Lettuces prevents cancer" in Hindustan Times, dated the 6th July, 1980;

(b) if so, what steps Government propose to take in this regard; and

(c) whether any research will be carried out in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) Yes. Cancer afflicting various sites have multi-factoral etiological basis. As such it would not be justifiable to assume that foods containing adequate amount of Vitamin-C, and less of salt would inhibit the process of carcinogenesis, specially of gastric cancer. However, heavy salt in the diet has been incriminated as an important etiological factor in the causation of gastric cancer in countries like Japan. High content of nitrites in leafy vegetables, including lettuce leaves, have been incriminated as important ingredient of the diet as related to gastro-intestinal cancer.

(b) and (c) No special action is called for.

मध्य प्रदेश में लोहा/मैंगनीज अयस्क खनिज उपकर अधिनियम/कल्याण निधि अधिनियम का प्रबन्ध

7242. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा/मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 196 और लोहा/मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्य निधि अधिनियम, 1978 के संचाल

के कार्य का दिनांक 1 जुलाई, 1979 से अचानक ही श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) को हस्तान्तरित कर दिया गया था और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन अधिनियमों के संचालन का उत्तरदायी कार्यालय इन्दौर में स्थित है; जबकि श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय जबलपुर में है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का पहले वाली स्थिति को ही पुनः बहाल करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) संपूर्ण भारत में क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन और अंशकालिक आयुक्तों की प्रणाली को समाप्त करने के परिणामस्वरूप लोहा/मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण विधि/उपकर का कार्य जबलपुर के पूर्णकालिक आयुक्त को सौंपा गया ।

(ख) इंदौर में स्थित कार्यालय आयुक्त के कार्यालय का एक भाग है और इसे जबलपुर में स्थानांतरित किया जाना है ।

(ग) जी नहीं ।

Central Standing Committee on Rural Unorganised Labour

7243. SHRI CHHITTUBHAI GAMIT:
SHRI CHITTA BASU:
SHRI AMARSINH V. RATHAWA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what are the objectives of the Central Standing Committee on rural unorganised labour and who are the members;

(b) how many meetings were held in the last two years and what are their achievements; and

(c) whether there is any decision to formulate any legislation to protect farm workers and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) to (c) The objectives of the Central Standing Committee on Rural Unorganised Labour are to advise Government on matters relating to improving the living and working conditions of rural unorganised labour and promoting their organisations. The members of this Committee represent workers and/employers organisations, members of Parliament, Central Ministries and Departments, the State Governments, Institutions, Organisations and individual/social workers engaged in and associated with the welfare of agricultural workers in the country.

During the last two years, two meeting of the Centarl Standing Committee were held, the first on 29th January, 1979, and the second on 9th July, 1980. In its first meeting on 29th January, 1979, the Central Standing Committee set up three sub-committees to report separately on:

(i) the framework of a Central Bill to regulate the wages and conditions of employment of agricultural workers and to provide a machinery for the settlement of disputes and claims;

(ii) the procedure and practices in identifying and freeing bonded labourers and recommend what improvements could be brought about to make them more effective;

(iii) the administrative and legal measures necessary to strengthen the organisation of rural workers and give proper attention to rural workers, training and education.